संख्या-3/2024 /।/486051/38-2-2002(002)/4/2023

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 फरवरी, 2024

विषय-दीनदयाल उपाध्याय,राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के नियंत्रणाधीन जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत "मानक मद-14-मोटर गाडियों के क्रय" में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-839/स0/वाहन/निष्प्रोज्य/2003-04-।। (टी0सी0) दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 एवं पत्रांक-763/स0/वाहन/निष्प्रोज्य/2003-04-।।(टी0सी0) दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-05-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) के अन्तर्गत मानक मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 28.00 लाख की बजट व्यवस्था के सापेक्ष जिला ग्राम्य विकास संस्थान, देवरिया, वाराणसी तथा बस्ती के उपयोगार्थ प्रतिस्थापन के आधार पर 03 शासकीय वाहन Mahindra Bolero B4 BS6 गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु जिसकी कीमत प्रति वाहन मूल्य रू0 8,73,973.00 है, की दर से 03 शासकीय वाहनों का क्रय हेतु कुल धनराशि रू0 26,21,919.00 (रू0 छब्बीस लाख इक्कीस हजार नौ सौ उन्नीस मात्र) स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
(2) प्रतिस्थापन स्वरुप वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।
(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नही हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरुप वाहन क्रय मद में किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उल्लिखित निष्प्रयोज्य वाहन के सापेक्ष पूर्व में प्रतिस्थापन स्वरुप वाहन का क्रय नही किया गया है। अर्थात क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।
(5) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय,राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितांत आवश्यकता/ अपरिहार्यता होने पर ही प्रतिस्थापन आधार पर वाहन का क्रय किया जायेगा।
(7) प्रश्नगत क्रय हेतु वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय,राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(8) इस संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103 ग्राम्य विकास-05-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) के अन्तर्गत मानक मद-14-मोटर गाडियों का क्रय के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर द्वारा अशासकीय संख्या-E-2-239-X-2023-24, दिनांक 23.01.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-3/2024 /।/486051/38-2-2002(002)/4/2023 **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र कुमार पाठक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।